

५।।२३ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिकता  
 अद्युपस्थित। आवाज फिलफरि गई।  
 दोनो में से कोई उपस्थित नहीं आया।  
 प्रकरण में लम्बे समय से तामील  
 नहीं हुई। अतः प्रार्थी का माथनापत्र  
 आदेश १ नियम ५ CPC वक़रिल किया  
 जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  
 घेकर दाखिल दफतर हो।/h

